जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 25-08-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

चोरी की योजना बना रहे 02 चोर अवैध तंमचा तथा कारतूस व अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा दिनांक 24-25.08.2020 की रात में गस्त के दौरान के बगीचे से 02 अभियुक्त नाम पता 1- विकास कुमार पुत्र हरिलाल 2- नावेद अहमद पुत्र महबूब आलम निवासीगण बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को ग्राम निघुरी आम के बगीचे से चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 149/2020 धारा 401 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त विकास कुमार के पास से बरामद 01 अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस (315 बोर) तथा अभियुक्त नावेद के पास से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया उक्त के क्रम में थाना बेलहरकला पर अभियुक्त विकास कुमार के विरुद्ध मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम तथा अभियुक्त नावेद पुत्र महबूब आलम के विरुद्ध मु0अ0सं0 151/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद तंमचा व 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद अवैध चाकू, 01अदद सब्बल, 01अदद टार्च, 02 अदद पेंचकस, 03 अदद रिंच।

गिरफ्तार पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, हे0कां0 याद अली, कां0 भूपेन्द्र सिंह, कां0 बहादुर सिंह, कां0 श्याम नारायण।

01अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता अरमान अंसारी पुत्र मो0 नईम निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 465/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 01 अभियुक्त नाम पता मैनुद्दीन पुत्र हसमुल्लाह निवासी मड़या खास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 466/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 01 अभियुक्त नाम पता जनार्दन पुत्र जयराम निवासी धनखिरिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मारपीट के विवाद को कराया शांत– पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत से इवेन्ट संख्या 00681 से कालर नीरज ने काल कर शराब पीकर विवाद / मारपीट करने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा इस संबन्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद को विधिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 नरसिंह यादव, आ0 इंद्रजीत भारती, हो0चा0 सुरेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 12 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 131 वाहनो से 102100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 131 वाहनो से 102100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।